न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थी

भीमा पुत्र अमरा वगैरा तहसीलदार शिव

राजस्व आवेदन सं. अन्तर्गत धारा 131/136 RLR Act.

अधिवक्तागण –प्रार्थीगण स्वंय, विप्रार्थी राजपैरोकार

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
28/8/19	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि मौजा रामदेव नगर, पटवार मण्ड़ल मौखाब कला, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बरान 522/507, 507/517 रकबा 12.02, 15.17 बीघा की आई हुई है। ग्राम रामदेवनगर ख़सरा नम्बर 503/17, 507/17, 505/17, 509/17 तथा 17 व 522/507 व को तरमीम करने हुते पुराना राजस्व रेकर्ड की जांच की गई। जांच अनुसार मूल खसरा नम्बर 17 का प्रशासन ग्रामो के संग अभियान के तहत सहमति विभाजन ना.क.स. 85 दिनांक 26.10.7 की पालना मे सहमति विभाजन हुआ जिसका ना.प्र. प्रति सलग्न है उनमे अनूसार ही मौके पर काबिज है लेकिन नामान्तकरण स. 125 स्वी. दिनांक 22.02.10 की पालना मे ख.न. 507/17 का पुनः सहमति विभाजन हुआ जो पूर्व में सहमति विभाजन मे दशार्ये बरंग अनूसार नही हुआ तथा मौके पर भी उक्त खातेदारी पूर्व के सहमति विभाजन अनूसार काबिज है बाद मे सहमति विभाजन गलत हुआ तथा उसकी लठ्ठा ट्रेस के तरमीम भी हो चूकी है लेकिन पूर्व के सहमति विभाजन की तरमीम नही हो रखी है। बाद मे हुए सहमति विभाजन प्रस्ताव का संशोधन किया जाता अपेक्षित है। राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारान के मध्य भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो तथा आने वाले समय में विवाद की समस्या को खत्म करने के लिए खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर कब्जा व काश्त एवं रहवासी ढाणीयों अनुसार पुनः तरमीम करवाना चाहते है इसलिए खातेदारान के उपरोक्त खेतो के खेत खसरा नम्बर 522/507, 507/517 रकबा 12.02, 15.17 बीघा भूमि की पूर्व मे की गई तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार शिव व हल्का पटवार द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः तरमीम दुरूस्त की जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को दर्ज किया गया तथा तहसीलदार शिव द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2019/1916 दिनांक 17.07.2019 को तैयार किये गये आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव को इस न्यायालय में अग्रेसित किया है। चूकि प्रकरण धारा 131/136 रा0भू रा0अधि0 के तहत होने से प्रकरण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का बनता है। प्रकरण में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति व मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है तथा प्रकरण में पक्षकारान के अंगुष्ट व हस्ताक्षर हल्का पटवारी द्वारा करवाये जाने की पहचान की	उपखण्ड अधिकारी शिव

गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर राज्य सरकार द्वार चलाये जा रहे डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना अन्तर्गत पूर्व मे की गई उपरोक्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खसरो की तरमीम को निरस्त किया जा कर प्राप्त विभाजन अनुसार नये सिरे से पक्षकारानो के मध्य निम्नानुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

क. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1	भीमा लिछमणा पि. अमरा पारसराम बनाराम पि. नाथूराम सायरी पत्नी नाथूराम कौम लुहार सा.देह खातेदार	503/17	28.00	बा.सो.	1.68	लाल
2	डालूराम किशनाराम पि. रामेश्वर सावराराम वल्द अचलाराम कौम लुहार सा. देह खातेदार	505/17	28.00	बा.सो.	1.68	पीला
3	देवा वल्द बीजा रेशा पत्नी बींजा कौम लुहार सा.देह. खातेदार	509/17	27.19	बा.सो.	1.68	हरा
4.	भीमा नाथु लिछमणा पि. अमरा 1/4 रमेश्वर समराराम पि.अचला 1/4 भूराराम (फौत) पि. पोकराराम पारसराम बनाराम पि. नाथूराम सायरी पत्नी नाथूराम गंगाराम वल्द पोकरराम 1/4 देना वल्द बींजा रेशा पत्नी बींजा 1/4 कौम लुहार सा.देह खातेदार	17	1.08	बा.सो.	0.08	गुलाबी
5.	भूराराम (फौत) गोविन्दराम, चेतनराम, घेवरराम पि0 भूराराम, शान्ति, चिरमी, जरिया, केकूं पुत्री भुराराम	507/17	15.17	बा.सो.	0.95	बैगंनी
6.	गोगाराम वल्द पोकरराम कौम कुम्हार, सा. देह खातेदार	522/507	12.02	बा.सो.	0.72	सफेद

तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय प्रस्तावित नक्शा अनुसार पुनः नये सिरे से नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/1916 दिनांक 17.07.2019 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः राजस्व रेकर्ड में नये सिरे से तरमीम करते हुये पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

आदेश आज दिनांक 23/8/19.........को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:25:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: